FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **रूजदार** बनाम **सरकार जरिये एसएचओ अकबरपुर अलवर**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/54/2025 दायर दिनांक 03.06.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टाटा ट्रक एलपीटी 2518 रजि0 संख्या आर.जे.–14–जीएफ–3353 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना अकबरपुर अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी सदर अलवर द्वारा पत्रांक 2135 दिनांक 27.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि मुलजिम मुबारिक उर्फ मुब्बा वर जमानत न्यायालय है। आरोपी हासम खां पुत्र श्री अब्दुला खां जाति मेव उम्र 32 साल निवासी बेरला को गिरफ्तार किया जाना शेष है। अनुसंधान जारी है। प्ररकण में जप्तशुदा वाहन को वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने की अनुसंशा नहीं की जाती है। पत्रावली एवं प्राप्त थानाधिकारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री रूजदार पुत्र कमरूदीन निवीसी ग्राम बेरला तह0 तिजारा जिला खैरथल–तिजारा द्वारा प्रा0पत्र सुपुर्दगी जरिये मुख्त्यारआम मुबारिक पुत्र सौराब नि0 बेरला पेश किया गया है, जबकि रूजदार द्वारा उक्त वाहन का किसी प्रकार से कोई बेचान मुबारिक के पक्ष में नहीं किया गया है। मात्र मुबारिक के पक्ष में मुख्तयारआम ही किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध वाहन की आर.सी. में वाहन का स्वामी रूजदार अंकित है। जिससे की जाहिर है कि मुख्यतयारआम मुबारिक वाहन स्वामी नहीं है। अधिनियम के तहत वाहन की सुपुर्दगी केवल वाहन स्वामी को ही दिये जाने के प्रावधान है। थानधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने की अनुसंशा नहीं की गई है। पत्रावली व थानाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जप्तशुदा वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। जिला कलक्टर अलवर	